जम्मू-कश्मीर में शांति की धीमी राह

इंडियन एक्सप्रेस

पेपर-III
(आंतरिक सुरक्षा)

इस समाचार पत्र में हाल ही में यह बताया गया था कि केन्द्र सरकार "घाटी के भीतरी इलाकों से भारतीय सेना को पूरी तरह से वापस लेने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। यदि मंजूरी दी जाती है, तो सेना की उपस्थिति केवल नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर होगी।" केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) और जम्मू-कश्मीर पुलिस को आतंकवाद-रोधी अभियानों की जिम्मेदारी सौंपे जाने के साथ, कश्मीर के कुछ जिलों से सेना को चरणबद्ध तरीके से वापस लिया जा सकता है। एक अधिकारी के हवाले से कहा गया है, कि 'एक तरह से फैसला लिया जा चुका है और यह कब किया जाएगा यह देखने वाली बात है।' इस कदम का कारण 5 अगस्त, 2019 के फैसलों के बाद से जम्मू-कश्मीर में हिंसा का स्तर कम होना है। सरकार दावा करती रही है कि कश्मीर में सामान्य स्थिति लौट रही है और अब वह भीतरी इलाकों में सेना की उपस्थिति को कम करके इसे "दिखाई देना" चाहती है।

जम्मू-कश्मीर से पहले भी सेना को कम किया गया है-

इस तर्क के साथ कि हिंसा के स्तर में कमी से आंतरिक सुरक्षा भूमिकाओं के लिए तैनात सुरक्षा बलों की संख्या में कमी आनी चाहिए। यह अतीत में हुआ है। उदाहरण के लिए 2007 और 2009 के बीच, दो डिवीजनों को जम्मू-कश्मीर में काउंटर टेरर ऑपरेशंस से हटा लिया गया था और उनकी पारंपरिक भूमिका पर वापस लौटा दिया गया था। लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तैनाती को मजबूत करने के लिए दो ब्रिगेड को कश्मीर से भी स्थानांतरित किया गया था। इन वर्षों में, भीतरी इलाकों में स्थिति में सुधार के साथ, कुछ राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर) इकाइयों को भी घुसपैठ विरोधी भूमिका में भीतरी इलाकों से नियंत्रण रेखा पर स्थानांतरित कर दिया गया है।

कुछ अन्य कारण

सेना को भी जनशक्ति के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। कोविड-19 के दौरान भर्ती पर दो साल की रोक के कारण लगभग 1,20,000 सैनिकों की कमी हो गई है और अतिरिक्त भर्ती के माध्यम से इस अंतर को पाटने की कोई योजना नहीं है। पूर्वी लद्दाख में 2020 में भड़के संकट से निपटने के लिए एलएसी पर सैनिकों की बढ़ी हुई तैनाती से जनशक्ति की समस्या और बढ़ गई है। आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों में कोई भी कमी सेना को अपनी बल संरचना को सही आकार देने का अवसर देती है।

वास्तव में, सेना पहले से ही इस दिशा में सोच रही है। एक इकाई में आरआर कंपनियों को छह से घटाकर चार करने और कुछ सेक्टर एवं बल मुख्यालयों को भंग करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, कुछ आरआर यूनिट्स को पहले ही पूर्वी लद्दाख भेज दिया गया है और एलएसी पर तैनात कर दिया गया है। इसे एक साथ ले जाने से सेना को भीतरी इलाकों से महत्वपूर्ण कमी आएगी। इस प्रकार

ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार का प्रस्ताव सभी के लिए एक जीत है, लेकिन शैतान, जैसा कि कहा जाता है, विवरण में निहित है।

निष्पादन का तरीका, समय और चरणबद्धता सफलता की कुंजी है।

सबसे पहले, समय : सामान्य स्थिति का आकलन करने के लिए हमें यह देखने की आवश्यकता है कि बाहरी और आंतरिक कारक जिन्होंने समस्या को बनाए रखा है, उन्हें कैसे संबोधित किया गया है। बाहरी कारक कमजोर हो गया है। पाकिस्तान ने अतीत में जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को भारी समर्थन दिया है, लेकिन आज की स्थिति को प्रभावित करने की उनकी क्षमता कम हो गई है। यह एक पाकिस्तानी हस्ताक्षर के साथ आतंकवादी कृत्यों के प्रति भारत की कड़ी प्रतिक्रिया और गहरी राजनीतिक, आर्थिक और आंतरिक सुरक्षा गड़बड़ी का परिणाम है जिसमें पाकिस्तान खुद को पाता है।

जिन आंतरिक कारकों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उनमें सुरक्षा स्थिति को नियंत्रण में लाना, कट्टरता से निपटना, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना, आर्थिक विकास लाना और राजनीतिक गतिविधियों को फिर से शुरू करना शामिल है। अतीत के सबक बताते हैं कि अकेले हिंसा का स्तर सामान्य स्थिति का संकेतक नहीं है। 2012 में, आतंकवाद से संबंधित हिंसा से होने वाली मौतें 2022 की तुलना में आधे से भी कम थी, लेकिन क्योंकि जम्मू-कश्मीर में संघर्ष के अंतर्निहित कारणों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया था, स्थिति लगातार बिगड़ती गई। जबकि आज सुरक्षा स्थिति स्थिर है, अन्य मुद्दों से व्यापक रूप से निपटने के लिए कुछ और समय लेना विवेकपूर्ण होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि सेना की मौजूदगी के बिना भी जम्मू-कश्मीर स्थिर रहे।

दूसरा, चरणबद्ध : क्षेत्रों को सीआरपीएफ को सौंपना चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। शुरुआत जम्मू क्षेत्र से की जा सकती है, जहां सीआरपीएफ आतंकवाद विरोधी अभियानों की पूरी जिम्मेदारी संभालती है। कुछ आरआर इकाइयों को किसी भी आकस्मिकता के लिए रिजर्व के रूप में रखा जा सकता है।

जम्मू और कश्मीर की विशेष स्थिति एवं उसे निरस्त करना

- अनुच्छेद-370 के प्रावधानों के अनुसार, संसद को जम्मू-कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करवाने के लिए केन्द्र को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती थी। राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। 1976 का शहरी भूमि कानून राज्य पर लागू नहीं होता था तथा भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है, यह जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होता था।
- अनुच्छेद-35। से जम्मू-कश्मीर के लिए स्थायी नागरिकता के नियम और नागरिकों के अधिकार तय होते थे। 14 मई 1954 के पहले जो कश्मीर में बस गए थे, उन्हीं को स्थायी निवासी माना जाता था। जो जम्मू-कश्मीर का स्थायी निवासी नहीं था, राज्य में संपत्ति नहीं खरीद सकता था, सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर सकता था, वहाँ के विश्वविद्यालयों में दाखिला नहीं ले सकता था और न ही राज्य सरकार की कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता था।
- **5 अगस्त, 2019:** सरकार ने अनुच्छेद-370 को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो अलग-अलग केन्द्र शासित प्रदेशों-जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के रूप में फिर से संगठित करने के लिए संसद में एक प्रस्ताव पेश किया गया तथा 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों (Union Territories-UT) में आधिकारिक रूप से विभाजित कर दिया गया।

जम्मू क्षेत्र में स्थिरीकरण के बाद सीआरपीएफ की तैनाती, दूसरा चरण कश्मीर के भीतरी इलाकों को सीआरपीएफ को सौंपना हो सकता है, जिसमें आरआर इकाइयों के कुछ को छोड़कर बाकी को हटाया जा सकता है जो रिज़र्व के रूप में कार्य कर सकते हैं। हालांकि, कश्मीर में कुछ जिलों को प्रायोगिक आधार पर सौंपने की अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि यह परिचालन अखंडता, खुफिया संग्रह और विभिन्न मंत्रालयों के तहत काम कर रहे पड़ोसी बलों के साथ कमान और नियंत्रण के मुद्दों की समस्याएं पैदा करेगा।

दो प्राथमिक कारणों से चरणबद्ध करने का सुझाव दिया जा रहा है। आज, सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस तालमेल से काम करती है, प्रत्येक बल अपनी अनूठी क्षमताओं को संचालन में लाता है। सेना के मामले में, इनमें न केवल उच्च प्रशिक्षित सैनिक शामिल हैं बल्कि रसद, संचार, इंजीनियरिंग और चिकित्सा सहायता भी शामिल है जो संगठन का अभिन्न अंग है। सेना की अनुपस्थिति में, इस क्षमता की कमी को भरने की आवश्यकता होगी और जम्मू क्षेत्र में सीआरपीएफ की प्रारंभिक तैनाती कश्मीर घाटी में जिम्मेदारी लेने से पहले इस संबंध में मूल्यवान सबक प्रदान कर सकती है।

चरणबद्ध परिनियोजन यह भी सुनिश्चित करेगा कि पूर्ण आरआर जल्दी भंग न हो। यह जम्मू-कश्मीर के लिए भारत का सबसे अनुभवी आतंकवाद-रोधी बल है और इससे पहले कि हम इस क्षमता को खो दें, यह सुनिश्चित करना विवेकपूर्ण होगा कि स्थिति स्थिर हो जाए।

जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना के कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन

- ऑपरेशन रक्षक जून 1990 में जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद की ऊंचाई के दौरान शुरू किया गया एक आतंकवाद-रोधी ऑपरेशन था।
- 'ऑपरेशन ऑल आउट' भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा 2017 में कश्मीर से आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए एक संयुक्त अभियान था। ऑपरेशन ऑल-आउट में भारतीय सेना, केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल, (सीआरपीएफ) जम्मू और कश्मीर पुलिस, बीएसफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो (भारत) शामिल थे। इसे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और अल-बद्र (जम्मू-कश्मीर)-अल-बदर सहित कई आतंकवादी समूहों के खिलाफ शुरू किया गया था।
- जुलाई, 2016 में भारतीय सेना द्वारा जम्मू और कश्मीर में बुरहान वानी की मृत्यु के बाद ऑपरेशन कॉम डाउन (Calm Down) शुरू किया गया था।
- ऑपरेशन सर्प विनाश (स्नेक डिस्ट्रॉयर) भारतीय सेना द्वारा हिलकाक पुंछ- सुरनकोट पीर पंजाल के क्षेत्र में आतंकवादियों को हटाने के लिए किया गया एक ऑपरेशन था।
- ऑपरेशन सद्भावना, जिन्हें 'ऑपरेशन गुडविल' के रूप में भी जाना जाता है, को जम्मू और कश्मीर में भारतीय सेना ने अपने सैन्य अभियान के तहत लॉन्च किया था। जिसका उद्देश्य "दिल और दिमाग जीतना था। ऑपरेशन सद्भावना के तहत कल्याण की पहल में बुनियादी ढाँचा विकास, चिकित्सा देखभाल, महिला और युवा सशक्तिकरण, शैक्षिक पर्यटन और खेलकूद टूर्नामेंट शामिल था।

आगे की राह

सरकार के इस प्रस्ताव में योग्यता है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तैनात सेना के बल स्तरों में कमी के साथ सामान्य स्थिति होनी चाहिए। यह जनशक्ति कटौती से परेशान सेना के लिए राहत के रूप में भी आएगा, क्योंकि इसकी परिचालन प्रतिबद्धताओं में वृद्धि हुई है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर में लाभ की भारी कीमत चुकानी पड़ी है और यह समझदारी होगी कि सावधानी बरती जाए और धीरे-धीरे और चरणबद्ध तरीके से सेना की वापसी का संचालन किया जाए।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. क्षेत्रफल के अनुसार जम्मू और कश्मीर, लद्दाख से बड़ा केन्द्र शासित प्रदेश है।
2. जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख को वर्ष 2019 में केन्द्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1

(b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों

(d) न तो 1 और न ही 2

Que. Consider the following statements-

1. Area-wise Jammu and Kashmir is a larger union territory than Ladakh.
2. Jammu & Kashmir and Ladakh were made Union Territories in the year 2019.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1

(b) Only 2

(c) Both 1 and 2

(d) Neither 1 nor 2

उत्तर : B

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में शांति एवं स्थिरता को देखते हुए क्या इस क्षेत्र में सेना की उपस्थिति कम करना सही कदम है? विश्लेषण कीजिए। **(250 शब्द)**

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- केन्द्र शासित प्रदेश बनने के बाद शांति एवं स्थिरता का संक्षिप्त विवरण दीजिए।
- जम्मू और कश्मीर से सेना को हटाने से क्या प्रभाव पड़ेगा इसके पक्ष व विपक्ष की चर्चा कीजिए।
- जम्मू और कश्मीर की वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।